न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00399RAAJodhpur2018-158RTA223 Shafee Mohmad ors Vs Peere khan etc

01. शफी मोहम्मद पुत्र रजाक मोहम्मद
02. फकीर खाँ पुत्र कासम खाँ
03. अब्दुल रहमान पुत्र अलारख
04. साले खॉ पुत्र अलारख
05. रमजान खॉ पुत्र अलारख

जातियान व्यापारी निवासीगण ग्राम जागरिया तहसील व जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. पीरे खॉ उर्फ पीर मोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी– प्रतापनगर जोधपुर।
2. नजीर खॉ पुत्र रजाक मोहम्मद
3. सतार खाँ पुत्र रजाक मोहम्मद
4. हनीफ पुत्र रजाक मोहम्मद के कायम मुकाम
   4.1. चाद खॉ पुत्र स्व. हनीफ खाँ
   4.2. आदम खाँ पुत्र स्व. हनीफ खाँ
   जातियान व्यापारीए निवासीगण ग्राम जागरिया तहसील व जिला फलोदी।
5. शकुस पत्नी अनवर खाँ
6. सलीम पुत्र अनवर खाँ
7. हलीम पुत्र अनवर खाँ
8. रमजान पुत्र अनवर खाँ
9. इकबाल पुत्र अनवर खॉ
10. मेहबूब पुत्र अनवर खाँ
11. शकील पुत्र अनवर खाँ
12. रईसा बानों पुत्री अनवर खाँ
13. रोशन बानो पुत्री अनवर खाँ
14. शहनाज बानो पत्नी हरूण
15. नाहिद पुत्र हरूण नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शहनाज बानो पत्नी हरूण
    जातियान व्यापारी निवासीगण.मजदूर कोलोनी प्रतापनगर जोधपुर
16. जबार पुत्र कासम खाँ के कायम मुकाम
    16.1. खलील अहमद पुत्र स्व. जबार
    16.2. शकील पुत्र पुत्र स्व जबार
    16.3. हसमत बानों पत्नी स्व० जबार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17.गफार पुत्र कासम खॉ
जातियान व्यापारी निवासीगण– जालमसिह का हत्था पावटा जोधपुर।
18.हफीजो पत्नी अलारख
19.फकीर मोहम्मद पुत्र अलारख
जातियानं व्यापारी निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी।
20.शोकत अली पुत्र हकीम जाति व्यापारी निवासी सेक्टर जी प्रतापनगर जोधपुर
21.शरीफन पत्नी मनसुर हुसैन
22.नियाज मोहम्मद पुत्र मनसुर हुसैन नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शरीफन पत्नी मन्सूर हुसैन
23.मकबुल पुत्र हकीम खॉं जाति व्यापारी निवासी तलवारसिंह के बंगले के पास राजीवनगर कोलोनी, पाल रोड जोधपुर।
24.जमालदीन पुत्र सलेमान खॉ
25.बिलाल खॉ पुत्र सलेमान खॉ
26. तजमल हुसैन पुत्र सलेमान खॉ
जातियान मुसलमान कुरेशी, निवासी–फलोदी तहसील व जिला फलोदी।
27.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018(डिक्री अनुसार 28 जून 2018) सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 155/2016 पीरे खां बनाम नजीर खां इत्यादि

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री मोहम्मद इकबाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सत्ताईस

नि र्ण य

दिनांक : 03 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 155/2016 अनवान पीरे खां बनाम नजीर खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018(डिक्री अनुसार 28 जून 2018) के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 अक्टूबर 2018 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53, 188, एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136, 131 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम जागरिया तहसील बाप वर्तमान तहसील फलोदी के खसरा नं0 128 रकबा 123 बीघा 17 बिस्वा भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प जागरिया में रख कर अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के समक्ष अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील होने पर वे जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा पत्रावली जवाबदावे में विचाराधीन चल रही थी। तत्पश्चात क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने से पत्रावली सहायक कलक्टर फलोदी को स्थानांतरित कर दी गई, जिसकी सूचना अपीलांट्स को नहीं दी गई। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सूचित किये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 08.10.2018 को रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर अपीलांट्स द्वारा दिनांक 12.10.2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल लेने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी।

गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने स्थानांतरित मामले में अपीलार्थीगण को सुनवाई का बिना कोई नोटिस दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक/वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद चलने काबिल नहीं था, क्योकि इसी भूमि बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा बंटवाडे की डिक्री दिनांक 20.12.1991 को पारित कर दी गई थी। इस कारण एक बार न्यायालय द्वारा नियमित वाद के जरिये बंटवाडे की डिक्री कर दी थी तो फिर बंटवाड़े का नया वाद कानूनन नहीं लाया जा सकता है। वादी/रेस्पोडेन्ट सख्या एक का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज करने काबिल है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व वाद का हवाला देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो किसी भी सुरत में बहाल रखने काबिल नहीं है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप में अधिवक्ता मुकरर्र कर वकालतनामा पेश किया था तथा पत्रावली अन्य प्रतिवादीगण के तामीलो में चल रही थी। प्रतिवादीगण का जबाब दावा पेश होना था, तत्पश्चात क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण दिनांक 24.04.2018 को पत्रावली सहायक कलेक्टर फलोदी स्थानान्तरित की गई। पत्रावली के स्थानान्तरण बाबत अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई। कानूनन पत्रावली सहायक कलेक्टर बाप से सहायक कलेक्टर फलोदी स्थानान्तरण होने पर अपीलार्थीगण को नोटिस दिया जाना लाजमी था। विचारण न्यायालय द्वारा बिना अपीलाथीगण को सूचित किये पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भयकर कानूनी भूल की है। राजस्व लोक अदालत में केवल आपसी समझाईस पर राजीनामा के आधार पर मामले का अंतिम निस्तारण किया जा सकता है। इस प्रकरण अपीलार्थीगण को न तो राजस्व लोक अदालत का नोटिस प्राप्त हुआ तथा न ही अपीलार्थीगण लोक अदालत में उपस्थित हुए। विचारण न्यायालय द्वारा केवल वादी अधिवक्ता एवं वादी की उपस्थिति बताकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित कर दिया, जबकी वर्तमान वाद चलने काबिल ही नहीं था।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन डिक्री व निर्णय निरस्त किये जावे तथा मामला अधिनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलार्थीगण का जबाब दावा रेकर्ड पर लेकर तनकीयात कायम की जाकर मामले का पुन गुणावगुण पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय किया जावे। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2023(1) आर.आर.टी. 247 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर अपीलांट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा दौराने विचारण वाद पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी अपीलार्थीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दौराने विचारण वाद के दिनांक 24.04.2018 को श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश की पालना में उक्त वाद की पत्रावली को न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी के यहां स्थानान्तरित किया गया था, जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को जरिये अधिवक्ता होने के बावजुद भी उनके द्वारा जानबुझकर एवं बदनियति वश अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी के समक्ष उपस्थिति नहीं दी गई और न ही दिनाक 18.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी के केम्प कोर्ट में ही उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा ग्राम जागरिया तहसील फलोदी के खसरा संख्या 128 के रकबा 123 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि में से अपने 1/4 हक हिस्से के अनुरूप पूर्व निस्तारित राजस्व मूल वाद संख्या 153/91 में पारित विभाजन के निर्णय के सन्दर्भ में अपने स्वामित्व की 30 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 24, 25 व 26 को उसके द्वारा बेचान की गई 15 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि के अलावा शेष रही अपनी 15 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि के बंटवाडे एवं तरमीम के लिये ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कराया गया था। अपीलार्थीगण को आदेशिका दिनांक 24.04.2018 की बखूबी जानकारी थी, इसके बावजूद उनके द्वारा दिनांक 18.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी के केम्प कोर्ट में उपस्थिति नहीं दी गई थी। लिहाजा अपीलार्थीगण द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त एवं सदभाविक अवसर न दिये जाने का लिया गया आधार स्वतः मिथ्या होने से वर्तमान अपील काबिले निरस्त है।

दौराने बहस रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सन् 1991 में हुए बंटवाड़े अनुसार केवल एक खसरा की पालना की जाती है तो रेस्पोडेंट संख्या एक को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही वकील रेस्पोडेंट द्वारा निवेदन किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि उनका हक–हिस्से अनुसार जितना रकबा बनता है, उसे सन् 1991 के विभाजन आदेश अनुसार वही पर भूमि दी जाती है तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं है।

अंत में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय का क्षेत्राधिकारी परिवर्तन होने से जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 666 दिनांक 19.04.2018 की पालना में वाद पत्रावली सहायक कलक्टर बाप से सहायक कलक्टर फलोदी स्थानांतरित की गई, जिसकी सूचना अपीलांट को दिये जाने का अंकन विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात स्थानांतरित पत्रावली को विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा पक्षकारान् को बिना सूचना दिये लोक अदालत केम्प जागरिया में रखकर उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का सद्भाविक कारण पाये जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 128 रकबा 123.17 बीघा के संबंध में पक्षकारान् द्वारा पूर्व में सहायक कलक्टर फलोदी के समक्ष धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व वाद संख्या 153/1991 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक बतौर प्रतिवादी संख्या दो पक्षकार संयोजित था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 20.112.1991 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर वादीगण/मुदईयान् संख्या एक से चार समसदीन, नजीरखां, सतारखां, सफी मोहम्मद व प्रतिवादी/मुदायाला संख्या एक हनीफ को वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 128 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1123.17 बीघा में 1/4 हिस्सा यानि 31 बीघा का खातेदार घोषित कर वादग्रस्त आराजी की उतरी दिशा में अवस्थित भूमि उनके हिस्से में रखी गई। प्रतिवादी संख्या पांच व छः अब्दुल व हकीम के हिस्से में 1/4 हिस्सा यानि रकबा 30.19 बीघा भूमि का खातेदार घोषित कर सबसे पश्चिम की भूमि उनके हिस्से में रखी गई। प्रतिवादी संख्या दो/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या एक/वादी पीरेखां कों 1/4 हिस्सा यानि 30.19 बीघा का खातेदार घोंषित कर विभाजन में उसे बीच की भूमि दी गई। प्रतिवादी संख्या तीन से छः अनवरखां, फकीरखां, जबारखां एवं गफार खां व प्रतिवादी संख्या सात अलारख खां को वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा यानि 30.19 बीघा का खातेदार घोषित कर विभाजन में वादग्रस्त आराजी की पूर्वी तरफ उनके हिस्से में भूमि रखा जाना पाया जाता है।

उपलब्ध अभिलेख से यह विदित होता है कि उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाते दर्ज किये जाकर वादग्रस्त आराजी बट्टा नंबरान् में विभाजित हो चुकी है, किंतु वादग्रस्त आराजी की तरमीम अंकित नहीं किये जाने से वर्तमान में वादग्रस्त आराजी राजस्व नक्शे में सामलाती दर्ज है।

वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत वाद में अपने हक–हिस्से की भूमि खसरा नं. 128/2 रकबा 15.09 बीघा एवं प्रतिवादीगण संख्या 29 से 31 को बेचान की गई भूमि खसरा नंबर 128/7 रकबा 15.10 बीघा का संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा वादी की इस्तदुआ से विपरीत जाकर पूर्व वाद में वादग्रस्त आराजी की नियत की गई हदूदो पर गौर किये बिना संपूर्ण भूमि(खसरा नं. 128, 128/1, 128/4, 128/3, 1258/5, 128/6 एवं 128/7) का नियम 18 से 21 के तहत बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन किये जाने के निर्णय एवं डिक्री पारित किये है जो पूर्व पारित निर्णय एवं डिक्री के विपरीत एवं विरोधाभासी पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं वांछित अनुतोष के विपरीत पाये जाने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पूर्व वाद संख्या 153/1991 में पारित निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक के हक–हिस्से में पूर्व में रखे गये हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसार पालना की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 153/1991 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 1991 के जरियें वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं. 128 रकबा 123.17 बीघा में पक्षकारान् के मध्य किये गये विभाजन की हदूदो के अनुरूप निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना विधिसम्मत रहेगा है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 155/2016 अनवान पीरे खां बनाम नजीर खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018(डिक्री अनुसार 28 जून 2018) निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार फलोदी को निर्देश दिये जाते है कि वह मूल खसरा नं. 128 रकबा 123.17 बीघा(वर्तमान खसरा नं. 128, 128/1, 128/4, 128/3, 1258/5, 128/6 एवं 128/7) का सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 153/1991 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 1991 के जरिये वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान् के मध्य नियत बंटवाड़े की हदूदो अनुसार स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी रेस्पोडेंट संख्या एक के हिस्से में पूर्व में रखी गई भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 29 के 31 के मध्य इसी अनुरूप उपविभाजन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00399RAAJodhpur2018-158RTA223 Shafee Mohmad ors Vs Peere khan etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. शफी मोहम्मद पुत्र रजाक मोहम्मद 02. फकीर खाँ पुत्र कासम खाँ 03. अब्दुल रहमान पुत्र अलारख 04. साले खॉ पुत्र अलारख 05. रमजान खॉ पुत्र अलारख जातियान व्यापारी निवासीगण ग्राम जागरिया तहसील व जिला फलोदी।	**ब ना म**	1. पीरे खॉ उर्फ पीर मोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी– प्रतापनगर जोधपुर। 2. नजीर खॉ पुत्र रजाक मोहम्मद 3. सतार खाँ पुत्र रजाक मोहम्मद 4. हनीफ पुत्र रजाक मोहम्मद के कायम मुकाम 4.1. चाद खॉ पुत्र स्व. हनीफ खाँ 4.2. आदम खाँ पुत्र स्व. हनीफ खाँ जातियान व्यापारीए निवासीगण ग्राम जागरिया तहसील व जिला फलोदी। 5. शकुस पत्नी अनवर खाँ 6. सलीम पुत्र अनवर खाँ 7. हलीम पुत्र अनवर खाँ 8. रमजान पुत्र अनवर खाँ 9. इकबाल पुत्र अनवर खॉ 10. मेहबूब पुत्र अनवर खाँ 11. शकील पुत्र अनवर खाँ 12. रईसा बानों पुत्री अनवर खाँ 13. रोशन बानो पुत्री अनवर खाँ 14. शहनाज बानो पत्नी हरूण 15. नाहिद पुत्र हरूण नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शहनाज बानो पत्नी हरूण जातियान व्यापारी निवासीगण.मजदूर कोलोनी प्रतापनगर जोधपुर 16. जबार पुत्र कासम खाँ के कायम मुकाम 16.1. खलील अहमद पुत्र स्व. जबार 16.2. शकील पुत्र पुत्र स्व जबार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16.3. हसमत बानों पत्नी स्व० जबार

17. गफार पुत्र कासम खॉं
जातियान व्यापारी निवासीगण– जालमसिह का हत्था पावटा जोधपुर।

18. हफीजो पत्नी अलारख

19. फकीर मोहम्मद पुत्र अलारख
जातियान व्यापारी निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी।

20. शोकत अली पुत्र हकीम जाति व्यापारी निवासी सेक्टर जी प्रतापनगर जोधपुर

21. शरीफन पत्नी मनसुर हुसैन

22. नियाज मोहम्मद पुत्र मनसुर हुसैन नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शरीफन पत्नी मन्सूर हुसैन

23. मकबुल पुत्र हकीम खाँ जाति व्यापारी निवासी तलवारसिंह के बंगले के पास राजीवनगर कोलोनी, पाल रोड जोधपुर।

24. जमालदीन पुत्र सलेमान खॉं

25. बिलाल खॉं पुत्र सलेमान खॉं

26. तजमल हुसैन पुत्र सलेमान खॉं
जातियान मुसलमान कुरेशी, निवासी–फलोदी तहसील व जिला फलोदी।

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018(डिक्री अनुसार 28 जून 2018) सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 155/2016 पीरे खां बनाम नजीर खां इत्यादि

यह अपील बतारीख 03 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री मोहम्मद ईकबाल अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 155/2016 अनवान पीरे खां बनाम नजीर खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018; डिक्री अनुसार 28 जून 2018द्ध निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार फलोदी को निर्देश दिये जाते है कि वह मूल खसरा नं. 128 रकबा 123.17 बीघा; वर्तमान खसरा नं. 128, 128/1, 128/4, 128/3, 1258/5, 128/6 एवं 128/7द्ध का सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 153/1991 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 1991 के जरिये वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान् के मध्य नियत बंटवाड़े की हद्दो अनुसार स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष के समक्ष प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करे। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक के हिस्से में पूर्व में रखी गई भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 29 के 31 के मध्य इसी अनुरूप उपविभाजन करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 03 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर